सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 07

(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेबसाइट–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मैनुअल—07

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण।

नीति के कार्यान्वयन हेतु—

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि हॉ तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

शिक्षक सेवा बेसिक

क्रम सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?(हॉ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	सेवाओं में भर्ती की प्रक्रिया	नहीं	
2	सेवाओं में प्रोन्नति प्रक्रिया	नहीं	
3	ज्येष्ठता सूची का प्रसारण	नहीं	
4	विविन्न सेवा नियमावली निमार्ण	नहीं	
5	स्थानान्तरण	नहीं	ग्राम शिक्षा समिति पी0टी0ए0 एवं जिला शिक्षा समिति के अनुमोदनानुसार परिवार के सदस्यों के अनुरोध पत्र
6	मिड डे मील संचालन	हॉ	VEC, SMC
7	भवन निर्माण	हॉ	VEC, SMC

नीति के कार्यान्वयन हेतु—

क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श का प्राविधान है? यदि हॉ तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्रम सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है?(हॉ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	स्थानान्तरण	नहीं	ग्राम शिक्षा समिति पी0टी0ए0 एवं जिला शिक्षा समिति के अनुमोदनानुसार परिवार के सदस्यों के अनुरोध पत्र

प्रेषक,

निदेशक, पंजीकृत
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– नियोजन 04/ 13233-37 /मां०मु०घो०/अनु०/2025–26 दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय– **मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 338/2025 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2 /12964-70/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 16 मार्च, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष *मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 338/2025 "मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक के सभी विद्यालयों के जीर्णोद्वार/सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा (10-10 कार्य)* के क्रियान्वयन हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

कार्य का नाम:– मां० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 338/2025 के अन्तर्गत जीर्णोद्धार/सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा :–

क्रं० सं०	विकास खण्ड का नाम	विधान सभा का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 भितरली	ग्रा०नि०वि० देहरादून	05	756000.00
			योग :–		**05**	**756000.00**

(कुल योग:– रूपये सात लाख छप्पन हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

➢ विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीया

20/3/26

(कंचन देवराडी)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/नियोजन 04/13233-84 /मां०मु०घो०/अनु०/2025–26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड।

20/3/26

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बजट आवंटन

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– अर्थ–2/ 12969-70 /5क(02)/13/2025–26 दिनांक 16 मार्च, 2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु मानक मद 51–अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि में से मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0– 338/2025 के क्रियान्वन किये जाने हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा; 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51–अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पूर्व आवंटन पश्चात् अवशेष में से रु0 756 हजार (रुपये सात लाख छप्पन हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:–

1– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 यथासंशोधित, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, यथासंशोधित), वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था को किया जायेगा एवं किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यों हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हा जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जॉये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में प्रस्तावित कार्य अनुरक्षण/निर्माण हेतु विभाग/सांसद–विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

4– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

6– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

7– बजट की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

9– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

10–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

11–निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12–कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

13–वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर **(IFMS)** के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/ /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांकः– उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियन्त्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पंजीकृत

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।

पत्रांक– नियोजन 04/ 11107-11 /मां०मु०घो०/अनु०/2025–26 दिनांक 30 जनवरी, 2026

विषय– मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–321/2025 एवं घोषणा संख्या– 338/2025 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी०सी० दिनांक 08 जुलाई, 2025 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2 /10901-07/5क(02)/13/2025-26 दिनांक 22 जनवरी, 2026 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष *मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 321/2025 "विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य किया जायेगा" (10-10 कार्य)* एवं *मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 338/2025 "मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक एवं इण्टरमीडिएट स्तर तक के सभी विद्यालयों के जीर्णोद्वार/सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा (10-10 कार्य)* के क्रियान्वयन हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

कार्य का नामः– मां० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 321/2025 के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य किया जायेगा :–

क्रं० सं०	विकास खण्ड का नाम	विधान सभा का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	विकासनगर	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 छोटी करोन्दी	ग्रा०नि०वि० देहरादून	21	92000.00
2	विकासनगर	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 छोटूवाला	ग्रा०नि०वि० देहरादून	25	559000.00
3	विकासनगर	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 मेंगवाला	ग्रा०नि०वि० देहरादून	44	760000.00
4	विकासनगर	विकासनगर	रा0क0उ0प्रा0वि0 जीवनगढ	ग्रा०नि०वि० देहरादून	35	988000.00
योग :–					**125**	**2399000.00**

(कुल योगः– रूपये तेईस लाख निन्यानव्वे हजार मात्र)

कार्य का नामः– मां० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 338/2025 के अन्तर्गत जीर्णोद्धार/सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा :–

क्रं० सं०	विकास खण्ड का नाम	विधान सभा का नाम	विद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	छात्र सं०	धनराशि
1	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 हुसैनगंज	ग्रा०नि०वि० देहरादून	12	517000.00

2	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 चार्लिविल	ग्रा०नि०वि० देहरादून	30	592000.00
3	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 लण्ढौर कैन्ट मसूरी	ग्रा०नि०वि० देहरादून	11	996000.00
4	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 भट्टा	ग्रा०नि०वि० देहरादून	26	711000.00
5	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 सिनोला	ग्रा०नि०वि० देहरादून	50	972000.00
6	सहसपुर	मसूरी	रा0प्रा0वि0 बिष्टगांव	ग्रा०नि०वि० देहरादून	8	911000.00
			योग :–		**137**	**4699000.00**

(कुल योगः– रूपये छियालीस लाख निन्यानब्वे हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए जनपद स्तर पर संकलित कर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

30/1/26

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़

पृ०सं०/नियोजन 04/ 11107-11 /मां०मु०घो०/अनु०/2025–26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुरक्षण कार्यों की प्रगति आख्या से सम्बन्धित जनपद को प्रति माह अवगत करायें। (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० सम्बन्धित जनपद)।
3. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़
देहरादून।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक– नियो(04)/5744-49/मु०मं०घोषणा/रूपा०/2025–26 दिनांक 06 सितम्बर, 2025

<u>विषय–</u> <u>मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 1376-79/मा०मु०मं०घो०/2025-26 दिनांक 21 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों के आधार पर निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/5460-65/5क(02)/13/2025–29 दिनांक 01 सितम्बर, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मदान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 "जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपान्तरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु अवशेष 16 विद्यालयों हेतु कुल रू० **7083000.00** (रूपये सत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान कर धनराशि वित्त अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के निर्वतन में रखते हुये पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन करते हुए विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सबन्ध में अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 "जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपान्तरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में निदेशालय के पत्र संख्या 18441 दिनांक 29 फरवरी, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित विद्यालयों के रूपान्तरण के अन्तर्गत *"बाला कान्सेप्ट (Building as learning add) कक्षा–कक्षों के अनुरूप अकादमिक संसाधनों की व्यवस्था, भवन मरम्मत व रंगरोगन, सीखने का कोना (learning corner) विद्यालय में संचालित गतिविधियों का बोर्ड पर प्रदर्शन/अंकना तथा स्मार्ट बोर्ड आदि कार्य"* प्रस्तावित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 "जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपान्तरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय के उक्त पत्र का अनुपालन करने के साथ–साथ निम्न निर्देशों का भी अनुपालन करते हुए विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य किये जायेंगे:–

- कार्यों की गुणवत्ता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों के आधार पर समय–समय पर कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण कर उसकी आख्या जनपद स्तर से निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

- जनपद स्तर से जिन विद्यालयों में रूपान्तरण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है उन विद्यालयों का रूपान्तरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका

सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

- कार्य की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं उप शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित विकासखण्ड) उत्तरदायी होंगे जिसका गुणवत्तायुक्त कार्य का प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 5744-49 /मु०मं०घोषणा/रूपान्तरण/2025–26 उक्तांकित।
प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

प्रेषक, बजट आवंटन

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

पत्रांक— अर्थ—2/5460-65 /5क(02)/13/2025—26 दिनांक 01 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वन किये जाने के लिए जनपद चम्पावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रूपांतरण कार्य कराये जाने हेतु मानक मद 51—अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 298/XXIV(1)-A-2/2025-14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 जुलाई 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन के पत्र संख्या 70/XXiv-A-2/2024—09/2023 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0—281/2022 के क्रम में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12—प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत मानक मद 51—अनुरक्षण के अन्तर्गत प्राविधानित/अवमुक्त धनराशि रु0 150000 हजार (रु0 पंद्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु0 7083 हजार (रुपये सत्तर लाख तेरासी हजार मात्र) को शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रय किये जाने के लिए संलग्न बजट आवंटन आई0डी0 के द्वारा धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विकासखण्ड के आहरण वितरण अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निम्न शर्तों के आधार पर व्यय किये जाने हेतु तत्काल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित करना सुनिश्चित करें:—

1— उक्त विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्य की आवश्यकता, लागत, कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा का होगा साथ ही उक्त कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 323/XXVII(7)/19—50(07)/2019 दिनांक 20—09—2019 एवं समय—समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार ही कराये जायेंगे।

2— उक्त विद्यालयों में जिला योजना, राज्य योजना, MLALADS, MPLADS, समग्र शिक्षा इत्यादि किसी भी मद से यदि धनराशि पूर्व वित्तीय वर्ष या घोषणा के पश्चात जारी की जा चुकी है, तो उन विद्यालयों को रूपान्तरण की परिभाषा में तो सम्मिलित कर लिया जाये, किन्तु धनराशि केवल अन्य प्रस्तावित विद्यालयों हेतु ही रु0 पाँच लाख प्रति विद्यालय की सीमा तक मरम्मत/रूपान्तरण कार्य हेतु ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

3— वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च 2025 की शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2025—26 के आय—वययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह—05 भाग—1(लेखा नियम) आय—व्यय संबंधी नियम (बजट मैन्युअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

4— धनराशि व्यय करने से पूर्व कड़ाई से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रस्तावित कार्यो हेतु किसी अन्य योजना (जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी0एस0आर0, विधायक निधि, सांसद निधि खनन एवं न्यास आदि) से धनावंटन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त हो जाने पर ही आहरण किया जाएगा। Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी। जनपद स्तर से धनराशि आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित विद्यालय को पिछले पाँच वर्षों में अनुरक्षण/निर्माण कार्य हेतु विभाग/सांसद—विधायक निधि या किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। यदि की गयी है, तो उक्त विद्यालयों को धनराशि का आवंटन न किया जाये।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

5– उक्त अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– विद्यालयों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से करते हुए व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (फोटोग्राफ्स) सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– कार्य पर मदवार उतना ही आहरण/व्यय किया जाय, जितनी वास्तविक देयता के बिल/वाउचर उपलब्ध कराये गये हों। व्यय वाउचर से इतर किसी भी धनराशि का आहरण न किया जाये। उक्त मद में व्यय के उपरान्त शेष धनराशि का समर्पण ऑन लाईन किया जायेगा। चालान से धनराशि का समर्पण कदापि न किया जाये।

9– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

10– निर्धारित एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये। विलम्ब की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11– कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्व करवाया जाये।

12– यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

13– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

14– वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 एवं शासनादेश संख्या 132/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक अलाटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर (**IFMS**) के माध्यम से ऑनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–11 राजस्व के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0–अर्थ–2/5460-65 /5क(02)/13/ 2025–26/ दिनांक:– उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सूचना प्रकोष्ठ।

(बीरेन्द्र कुमार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

श्री नौरियाल कृ० आ० कार्यवाही करें। CN1790 60664 पंजीकृत
943
25/07/25
DD
28/7/25
DD नियोजन

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून।

पत्रांक/1376-79 /मा0मु0मं0घो0/2025–26 दिनांक 21 जुलाई 2025,

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक निवेदन सहित अवगत कराया जाना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 281/2022 के अन्तर्गत रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित 16 विद्यालयों के आंगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु चाहे गये है। तदक्रम में 16 विद्यालयों के आंगणन प्रस्ताव तैयार कर टी0ए0सी0 उपरान्त विगत पांच वर्षो में धनराशि स्वीकृत न होने का प्रमाण–पत्र एवं फोटोग्राफ सहित आपकी सेवा में प्रेषित किये जा रहे है। कृपया धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न आंगणन प्रस्ताव–16

भवदीय
(मान सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत।

पृ0सं0/ /मा0मु0मं0घो0/2025–26 दिनांक 21 जुलाई 2025,

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी चम्पावत।
2. मुख्य विकास अधिकारी चम्पावत।
3. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा चम्पावत।

रूपान्तरण हेतु चयनित विद्यालय–चतुर्थ चरण।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	विकासखण्ड का नाम	आंगणित धनराशि रू0 लाख में
1	रा0उ0प्रा0वि0 सुल्ला	8	लोहाघाट	4.85
2	रा0उ0प्रा0वि0 बिल्देधार	17	लोहाघाट	4.92
3	रा0उ0प्रा0वि0 बगौटी	14	लोहाघाट	4.92
4	रा0प्रा0वि0 कोटबसान	7	लोहाघाट	4.99
5	रा0प्रा0वि0 कठौती	28	चम्पावत	4.19
6	रा0प्रा0वि0 चम्पावत	76	चम्पावत	3.10
7	रा0उ0प्रा0वि0 जैगांवजैतोली	16	चम्पावत	4.12
8	रा0प्रा0वि0 आमबाग	99	चम्पावत	4.48
9	रा0प्रा0वि0 ललुवापानी	25	चम्पावत	4.02
10	रा0प्रा0वि0 लोहारज्यूला	15	चम्पावत	4.48
11	रा0प्रा0वि0 भ्यूना	11	चम्पावत	3.56
12	रा0प्रा0वि0 गुरखोली	14	चम्पावत	4.68
13	रा0उ0प्रा0वि0 धरसौं	12	पाटी	4.98
14	रा0उ0प्रा0वि0 साल	37	पाटी	4.99
15	रा0प्रा0वि0 आमलिंग	18	पाटी	4.99
16	रा0प्रा0वि0 रक्षादेवी	7	पाटी	3.56
	योग			70.83

जिला शिक्षा अधिकारी–प्रा0शि0,
चम्पावत।